

न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्ता, चास(बोकारो)।




सी०एन०टी० एक्ट की धारा 46(1)(b) के अन्तर्गत

अभिलेख संख्या-127/2019-20

-: आदेश :-

सूची 14-फारम संख्या-560

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|------------------------------|---|---|
| 22/7/2020 | <p>अभिलेख उपस्थापित।</p> <p>विक्रेता पशुपति महतो, पिता-स्व० हुबलाल महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-सोनाबाद, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-सोनाबाद, थाना नं०-44 के खाता संख्या-46, प्लॉट नं०-3435, 3443, 3441, रकवा-0.43 एकड़ भूमि बिक्री करने हेतु समर्पित आवेदन पत्र के आलोक में इस न्यायालय के पत्रांक 178/भू०सु०, दिनांक 13.03.2020 द्वारा अंचल अधिकारी, चास से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई तथा आम सूचना निर्गत किया गया है जिसका तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>अंचल अधिकारी, चास के पत्रांक 1286 दिनांक 16.07.2020 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है जो निम्नवत् है:-</p> <ol style="list-style-type: none">1. बिक्री की जाने वाली भूमि रैयती खाते की है जिसका सर्वे खतियान बनमाली महतो दि० के नाम से दर्ज है।2. (क). विक्रेता ग्राम-सोनाबाद, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो, झारखण्ड के मूल निवासी हैं। (ख). क्रेता ग्राम-सोनाबाद, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो, झारखण्ड के मूल निवासी हैं।3. क्रेता एवं विक्रेता दोनों जाति के कुर्मी हैं, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी में आते हैं।4. प्रश्नगत भूमि बिक्री करने के पश्चात 2.50 एकड़ भूमि शेष बचता है।5. भूमि बिक्री के उपरांत विक्रेता भूमिहीन नहीं होंगे।6. बिक्री की जाने वाली भूमि विक्रेता को खतियान द्वारा प्राप्त है।7. बिक्री की जाने वाली भूमि का जमाबंदी पंजी-II के थोका संख्या-167 में कायम है। लगान रसीद 2013-14 तक निर्गत है।8. विक्रेता का वंशावली (स्वहस्ताक्षरीत) अभिलेख के साथ संलग्न है।9. बिक्री की जाने वाली भूमि पर विक्रेता का शान्तिपूर्वक दखल कब्जा है।10. बिक्री की जाने वाली भूमि का किस्म-बाड़द है।11. अंचल अधिकारी, चास द्वारा मौजा-सोनाबाद, थाना नं०-44 के खाता संख्या-46, प्लॉट नं०-3435, 3443, 3441, रकवा-0.43 एकड़ भूमि बिक्री की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है। | |

| आदेश की क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पं. कार्रवाई के दिप्पणी तारी |
|------------------------------|--|--|
| | <p>विक्रेता का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-JHRC/2017/442713 - दिनांक 15.05.2017 एवं क्रेता का स्थानीय स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र सं०-JHRC/2017/1545262 - दिनांक 04.12.2017 की छायाप्रति अभिलेख में संलग्न है।</p> <p>अतः अंचल अधिकारी, चास के उपरोक्त प्रतिवेदन एवं अनुशंसा तथा आवेदक के द्वारा समर्पित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति के आधार पर छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46(1)(b) के तहत विक्रेता पशुपति महतो, पिता-स्व० हुबलाल महतो, जाति-कुर्मी, ग्राम-सोनाबाद, थाना-पिण्ड्राजोरा, जिला-बोकारो के द्वारा चास अंचल अन्तर्गत मौजा-सोनाबाद, थाना नं०-44 के खाता संख्या-46, प्लॉट नं०-3435, 3443, 3441, रकवा-0.43 एकड़ भूमि क्रेता दिपाली महतो, पति-स्व० सुरेश चन्द्र महतो, जाति-कुर्मी ग्राम-सोनाबाद, थाना-पिण्ड्राजोरा, अंचल-चास, जिला-बोकारो को बिक्री करने की <u>अनुमति</u> दी जाती है।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता चास।</p> <p> भूमि सुधार उपसमाहर्ता, चास।</p> | <p></p> |